

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 1(क)(26)गृह-2 / 2024

जयपुर, दिनांक

स्वीकृति संख्या – 59 / 2024-25

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा बिन्दु संख्या 100 (VII) की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. प्रस्तुत प्रस्ताव में बजट घोषणा बिन्दु संख्या 100 (VII) अनुसार-"कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खण्ड भी स्थापित किये जाने प्रस्तावित है", जिसकी अनुपालना में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला-कोटा, बीकानेर, भरतपुर में रसायन खण्ड एवं डी. एन. ए. खण्ड स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. विभागीय प्रस्तावानुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला-कोटा, बीकानेर, भरतपुर में रसायन खण्ड एवं डी.एन.ए. खण्ड स्थापित किये जाने हेतु पृथक से भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
3. विभागीय प्रस्तावानुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला-कोटा, बीकानेर, भरतपुर में रसायन खण्ड एवं डी.एन.ए. खण्ड स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित मानव संसाधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	नवीन पदों की संख्या (रसायन खण्ड)			नवीन पदों की संख्या (डी.एन.ए. खण्ड)			महायोग
		कोटा	बीकानेर	भरतपुर	कोटा	बीकानेर	भरतपुर	
1	सहायक निदेशक (L-16)	01	01	01	01	01	01	06
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (L-15)	01	01	01	01	01	01	06
3	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (L-12)	01	01	01	01	01	01	06
4	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (L-10)	02	02	02	02	02	02	12
5	प्रयोगशाला सहायक (L-8)	02	02	02	02	02	02	12
6	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (L-5)	02	02	02	04	04	04	18
7	सूचना सहायक (L-8)	01	01	01	01	01	01	06
योग		10	10	10	12	12	12	66
प्रत्येक खण्ड के लिए एक-एक होमगार्ड कुल 06 तथा एक-एक मशीन विथ मैन कुल 06 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।								

4. विभागीय प्रस्तावानुसार **रसायन खण्ड** हेतु फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए अनुमानित राशि रुपये 30.00 लाख तथा केमिकल किट, ग्लासवेयर आदि के लिए अनुमानित राशि रुपये 30.00 लाख उपलब्ध बजट प्रावधान से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर विभाग को आगामी बीएफसी में मांग प्रस्तुत कराये जाने अथवा Additionality के प्रस्ताव यथा समय भिजवाये जाने का परामर्श दिया जाता है।

5. विभागीय प्रस्तावानुसार **डी.एन.ए. खण्ड** स्थापित किये जाने हेतु अनुमानित राशि रूपये 15.00 करोड़ (रूपये 5.00 करोड़ प्रति स्थान) के उपकरणों की आवश्यकता रहेगी। जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्भया फण्ड योजना के तहत राशि प्राप्त की जानी है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 182401160 दिनांक 17.09.2024 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I), राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज. जयपुर को उनके पत्रांक ब.12(15)लेबो-संस्था / 2024 / 10023 दिनांक 03.08.2024 के क्रम में।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)